



राजस्थान आवासन मण्डल उदयपुर वृत्त, उदयपुर

आवासीय आवासो/ फ्लेटो की मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा

भव्य नीलामी

राजस्थान आवासन मण्डल के सम्पत्ति अधिनियम 1970 के नियमानुसार उदयपुर वृत्त में आवासन मण्डल की आवासीय योजनाओं में मुहरबन्द प्रस्ताव द्वारा आवासीय आवास/फ्लेटो की नीलामी निम्नानुसार किया जाना निश्चित हुआ है-

कॉलोनी का नाम				निविदा प्राप्त अधिकारी का पता	निविदा प्राप्त करने की दिनांक	निविदा खोलने की दिनांक एवं समय			
गोवर्धन विलास / गोवर्धन विलास विस्तार/दक्षिण विस्तार योजना/सविना द्वितीय, सविना प्रथम एवं द्वारकापुरी योजना, उदयपुर				आवासीय अभियन्ता खण्ड-प्रथम उदयपुर (कमरा नं. 301)	22.02.16 से 01.03.2016 सांय 5.00 बजे तक	02.03.2016 अपरान्ह 2.00 बजे			
क्र.सं.	मुखण्ड/ आवास सं.	मुखण्ड/ आवास का नाप/ क्षेत्रफल (वर्गमी. में)	न्यूनतम विक्रय मूल्य (प्रवर्गमी.) / प्रति आवास	धरोहर राशि (रु. में)	मुहरबन्द प्रस्ताव हेतु निर्धारित प्रारूप				
					निविदादाता का नाम बौली - सामान्य/अनु.जाति/अनु.जनजाति. (प्रमाण पत्र संलग्न करना आवश्यक है)				
					पत्र व्यवहार का पता				
					स्थायी पता				
					दूरभाष नो.नं.				
					आवासीय/वाणिज्यिक आवास/मुखण्ड सं. (जिसके लिये मुहरबन्द निविदा प्रेषित की जा रही है)				
					योजना का नाम:-				
					आवेदक द्वारा प्रस्तावित दर (मुखण्ड की स्थिति में दर प्रति वर्गमीटर के हिसाब से दर भरें एवं निर्धारित आवास की स्थिति में प्रति आवास के हिसाब से दर भरें)				
					संलग्न राशि रु. बैंक द्राफ्ट सं. दिनांक बैंक का नाम देय नं. (जब्या प्रति)				
					दस्तावेज निविदादाता				
					लिफाफे का प्रारूप				
					मुखण्ड/आवास संख्या योजना/लेकटर का नाम				
					निविदादाता का नाम स्थायी पता				
खण्ड प्रथम, उदयपुर									
(1) गोवर्धन विलास (आवासीय आवास/फ्लेट)									
1	GVF/E-02 (GF)	74.61	2600000.00	130000.00					
2	GVF/E-03 (GF)	74.61	2600000.00	130000.00					
3	GVF/H-04 (GF)	74.61	2600000.00	130000.00					
4	GVF/J-03 (GF)	74.61	2600000.00	130000.00					
5	GVF/M-04 (GF)	74.61	2600000.00	130000.00					
6	GVF/G-07 (FF)	74.61	2300000.00	115000.00					
7	GVF/E-11 (SF)	74.61	2200000.00	110000.00					
8	GVF/G-11 (SF)	74.61	2200000.00	110000.00					
9	GVF/I-12 (SF)	74.61	2200000.00	110000.00					
10	GVF/J-09 (SF)	74.61	2200000.00	110000.00					
11	GVF/E-16 (TF)	74.61	2100000.00	105000.00					
12	GVF/G-16 (TF)	74.61	2100000.00	105000.00					
13	GVF/H-15 (TF)	74.61	2100000.00	105000.00					
14	GVF/J-15 (TF)	74.61	2100000.00	105000.00					
15	GVF/M-14 (TF)	74.61	2100000.00	105000.00					
16	GVF/M-15 (TF)	74.61	2100000.00	105000.00					
17	4/482	210.000	6900000.00	345000.00					
(2) गोवर्धन विलास विस्तार योजना, उदयपुर (फ्लेट/आवास)									
1	D-07	47.939	1500000.00	75000.00					
(3) दक्षिण विस्तार योजना, उदयपुर (आवासीय फ्लेट)									
1	H-13	74.610	1750000.00	87500.00					
2	H-14	74.610	1750000.00	87500.00					
3	H-15	74.610	1750000.00	87500.00					
4	H-16	74.610	1750000.00	87500.00					
(4) सविना द्वितीय, उदयपुर (आवासीय आवास)									
1	G-80	25.060	750000.00	37500.00					
				(5) द्वारकापुरी योजना, उदयपुर (आवासीय फ्लेट)					
					1	E-105 (GF)	29.167	800000.00	40000.00
					2	H-205 (FF)	29.167	750000.00	37500.00
					3	I-302 (SF)	29.167	725000.00	36250.00
					4	A-401 (TF)	29.167	700000.00	35000.00
					5	D-402 (TF)	29.167	700000.00	35000.00
(6) सविना प्रथम, उदयपुर (व्यावसायिक मुखण्ड)									
					1	04	20.250	55000.00	55687.50

1. किसी भी मोहरबन्द प्रस्ताव/ प्रस्तावों को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार राजस्थान आवासन मण्डल के पास सुरक्षित है। 2. निर्दिष्ट योजना में उपलब्ध मुखण्ड/ आवास हेतु मोहरबन्द प्रस्ताव संबंधित निविदा प्राप्त अधिकारी को ही प्रस्तुत किये जायेंगे। 3. सशर्त निविदायें स्वीकार्य नहीं होगी। 4. अमानत राशि ड्राफ्ट/ पे-ऑर्डर द्वारा ही स्वीकार की जावेगी जो कि "राजस्थान आवासन मण्डल उदयपुर" के पक्ष में देय होंगे। 5. उच्चतम बोलीदाता को विक्रय मूल्य की 10 प्रतिशत राशि पूर्व में जमा करायी गयी राशि को समायोजित करते हुए 72 घंटे में जमा करानी होगी। यदि जमा कराने के अंतिम दिन राजकीय अवकाश हो तो उसके आगामी कार्य दिवस को जमा करानी होगी। उक्त राशि जमा न होने पर नीलामी निरस्त कर अमानत राशि जब्त कर ली जावेगी। 6. शेष राशि मांग पत्र जारी होने की तिथि से 60 दिवस की अवधि में जमा करानी होगी। यदि बोलीदाता 60 दिवस में राशि जमा नहीं करता है तो जमा राशि जब्त कर ली जावेगी और बोली स्वतः निरस्त हो जावेगी। 7. यदि सफल बोलीदाता 60 दिवस की अवधि में मांग राशि जमा नहीं करता है तो वह लिखित में समय बढ़ाने का अनुरोध मय निर्धारित राशि जमा कर एवं उक्त परिस्थिति में जमा कराने पर नियमन के आदेश दिए जा सकेंगे तत्पश्चात् ही राशि जमा की जा सकेगी। 8. यदि बोलीदाता समय पर राशि जमा नहीं करता है तो ब्याज की गणना निर्धारित अवधि के बाद मूलधन प्रभाव से नीलामी बोली स्वीकृति करने के दिनांक से वसूलनीय होगी। 9. सीलबंद निविदा के प्रकरण में एकल निविदा प्राप्त होने की स्थिति में भी निविदा खोली जावेगी एवं समिति अपनी सिफारिश के साथ मुख्यालय को भेजेगी जिस पर अंतिम निर्णय आवासन आयुक्त द्वारा लिया जावेगा। 10. मोहरबन्द निविदाओं में, अधिकतम निविदा दर एक से अधिक समान दर प्राप्त होने की स्थिति में ही नीलामी किये जा रहे हैं तथा आवास केवल आवासीय प्रयोजनार्थ ही उपयोग में लिये जा सकेंगे। 11. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। 12. निर्मित आवास जहां है, जैसे हैं की स्थिति में ही नीलामी किये जा रहे हैं तथा आवास केवल आवासीय प्रयोजनार्थ ही उपयोग में लिये जा सकेंगे। 13. निर्धारित अवधि के पश्चात् प्रस्ताव स्वीकार नहीं होगा। 14. आवासीय मुखण्डों के मामलों में लीज राशि की गणना प्रचलित आवासीय आरक्षित दर की 2.5 प्रतिशत वार्षिक एवं व्यावसायिक एवं संस्थानिक मुखण्ड अथवा सम्पत्ति पर लीज राशि 5 प्रतिशत की दर से व्यावसायिक एवं संस्थानिक मुखण्ड की प्रचलित आरक्षित दर पर देय होगी। मण्डल की वेबसाइट www.rhbonline.rajasthan.gov.in

उप आवासन आयुक्त, उदयपुर